

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दण्डिक विविध जमानत आवेदन-पत्र संख्या 5366/2014
अश्विनी कुमार बनाम राज. राज्य

30.05.2014

माननीय न्यायाधिपति श्रीमती निशा गुप्ता

श्री एस एस होरा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री जितेन्द्र श्रीमाली, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रेस नहीं करना चाहते हैं एवं उनका कथन है कि चार्जशीट के पश्चात उसे पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना स्वीकार की जाती है तथा प्रार्थना पत्र को प्रेस नहीं करने के आधार पर निरस्त किया जाता है। प्रार्थी को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि इस प्रकरण में चार्जशीट के पश्चात वह विचारण न्यायालय में अपनी जमानत का प्रार्थना पत्र पेश कर सकेगा।

(न्या० निशा गुप्ता)

बीएल जैन/110

All corrections made in the judgement/order have been incorporated in the judgement/order being emailed.
B.L. Jain, PS